# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
## जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–61/2018

| Sl No date of order of proceeding | Order with Signature of the Court | Office Action taken with date |
|---|---|---|
| 1.8.19 | अरूणदेव गोसाई, पे0–स्व0 राजो गोस्वामी– आवेदक प्रथम<br>अर्जून गोसाई, पे0–स्व0 स्व0 गोवर्धन गोस्वामी– आवेदक द्वितीय<br>सा0–सुग्गी, पो0+अंचल+जिला–जमुई।<br>**बनाम**<br>जलधर गोसाई, पे0–स्व0 जगदीश गोस्वामी– विपक्षी प्रथम<br>हीरालाल गोसाई, पे0–स्व0 चन्द्र नारायण गोस्वामी– विपक्षी द्वितीय<br>यमुना गोसाई, पे0–स्व0 नन्हकू गोस्वामी– विपक्षी तृतीय<br>सा0–सुग्गी, पो0+अंचल+जिला–जमुई।<br>**अभिलेख उपस्थापित।** विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद अरूणदेव गोसाई, पे0–स्व0 राजो गोसाई वगैरह के आवेदन दिनांक–02.08.2016 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपना लिखित बहस पेश की गई।<br>**वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–**<br>(1) खाता सं0–187, खेसरा सं0–623, रकवा–21डी0 खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते दावा किया है।<br>(2) आवेदकगण का कहना है कि विपक्षी की जमाबंदी सं0–27/240 अवैध केवाला के आधार पर अंचल अमला को मेल में लाकर कायम करवा लिया गया है, जो किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना कायम की गई है।<br>(3) जमीन वेलगान है आज तक किसी के नाम लगान निर्धारण नहीं किया जा सका, क्योंकि खतियानी रैयत को आधी फसल रेन्ट के तौर पर दिया जाता था।<br>(4) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षी के नाम अथवा इनके विक्रेता के नाम पर कोई जमाबंदी अथवा लगान निर्धारण नहीं किया गया।<br>(5) विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी में विवादी जमीन दर्ज की दी गई है।<br>(6) विपक्षी के विक्रेता का कोई संबंध खतियानी रैयत से नहीं है तथा विपक्षीगण के नाम विक्रेता के पास बिक्री के अधिकार संबंधी कोई कागजात नहीं है।<br>(7) आवेदकगण का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी के पत्रांक–1063, दिनांक–27.09.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त स्थल पर आवेदकगण का दखल है। साथ ही साथ यह भी प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी के विक्रेता को विवादी जमीन की बिक्री करने का अधिकार नहीं था क्योंकि ग्रामीणों से जानकारी मिली कि विक्रेता खतियानी रैयत का वंशज नहीं है।<br>अन्त में आवेदकगण द्वारा विपक्षीगण की जमाबंदी अवैध होने के कारण इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।<br>साक्ष्य के रूप में आवेदकगण द्वारा खतियान की छाया–प्रति एवं | |

अंचल अधिकारी, जमुई का जाँच प्रतिवेदन की छाया–प्रति संलग्न की गई है।

प्रतिवादी (द्वितीय पक्ष) का कथन :–

(1) विपक्षीगण का कथन है कि आवेदक के आवेदन पर वर्त्तमान कार्यवाही चलाया जाना सही नहीं है, क्योंकि आवेदक अथवा उनके पूर्वज के नाम पर न तो भूतपूर्व जमींदार और न ही सरकार के सिरिसता में जमाबंदी सृजित की गई।

(2) अंचल अधिकारी, जमुई द्वारा तोड़–मड़ोड कर प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें इस सत्य को छुपा दिया गया है कि पचकौड़ी गोसाई तथा अकलू गोसाई की पत्नी मसो0 चुन्नी खेबट नं0–7 के तहत मध्यवर्ती थे तथा वर्त्तमान कार्यवाही में निहित भूमि उनके दखल में थी।

(3) अंचल अधिकारी के द्वारा पत्र संख्या–1063, दिनांक–27.09.2016 द्वारा दिया गया प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि केवल आधे सत्य को दर्शाया गया है, जबकि आधी सत्यता छुपा ली गई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि लगान निर्धारण वाद सं0–256/1956–57 द्वारा खेसरा सं0–623, रकवा–10 1/2डी0 भूमि से संबंधित जमाबंदी सं0–27 हुरो गोसाई बल्द पचकौड़ी गोसाई के नाम पर सृजित की गई, परन्तु यह सत्य छुपा लिया गया है कि बची हुई आधी जमीन की जमाबंदी मसो0 चुन्नी के नाम पर दर्ज थी।

(4) मसो0 चुन्नी नावल्द थी तथा उनके मृत्यु के पश्चात् खाता सं0–187 की समस्त भूमि जिसमें खाता सं0–185 तथा 188 भी सम्मिलित है, हुरो गोसाई बल्द पचकौड़ी गोसाई के दखल में आ गई।

(5) अपने पिता हुरो गोसाई के मृत्यु के पश्चात फटकन गोसाई तथा कलानन्द गोसाई उक्त सम्पति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किये तथा दोनो भाईयों ने निबंधित वसीका दिनांक–27.11.1976 द्वारा खाता सं0–185, 187 एवं 188 का 1.20 एकड़ भूमि हीरा मिश्र, यमुना मिश्र के पिता चन्द्र नारायण मिश्र तथा विपक्षी सं0–01 जलधर गोसाई तथा विपक्षी सं0–02 हीरालाल गोसाई को हस्तांतरित कर दिया, जिसमें विवादित खेसरा 623 की 21डी0 जमीन भी सम्मिलित है।

(6) अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि फटकन गोसाई एवं कलानन्द गोसाई जो हुरो गोसाई के पुत्र थे, द्वारा निबंधित वसीका संख्या–5594, दिनांक–27.11.1976 के माध्यम से भूमि चन्द्र नारायण मिश्र, यमुना मिश्र एवं जलधर गोसाई को बिक्री कर दी गई, परन्तु जान–बुझ कर यह नहीं दर्शाया गया कि उनका नाम दाखिल–खारिज वाद संख्या–100407/2011–12 द्वारा नामांतरित कर दी गई। तथा जमाबंदी सं0–27/240 के तहत राजस्व रसीद भी निर्गत कर दी गई।

(7) आवेदक द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमुई के न्यायालय में दाखिल–खारिज अपील दाखिल नहीं की गई तथा सीधे अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु वाद दायर कर दिया गया, जो गलत है। जब तक दाखिल–खारिज आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक विपक्षी की जमाबंदी में किसी तरह का हस्ताक्षेप किया जाना कानून के तहत मान्य नहीं है।

(8) खाता सं0–185, 187 एवं 188 के तहत 1.20 एकड़ भूमि का एक अंश भाग धारा 145 के तहत वाद संख्या–547एम0/1978 चरितर गोसाई बनाम चन्द्र नारायण मिश्र की कार्यावाही का विषय वस्तु था एवं उक्त जमीन को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 146(a) के तहत जप्त कर

ली गई थी एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारों के दखल के संबंध में निर्णय होने तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। यह आदेश विद्वान दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक–06.09.2011 को पारित किया गया था।

(9) तदोपरांत विपक्षी द्वारा स्वत्व वाद सं0–22/2010 दायर की गई, जो विद्वान सबजज प्रथम, जमुई के न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार यह मामला व्यवहार न्यायालय में न्याय निर्णय हेतु लंबित है। इसलिए जमाबंदी रद्दीकरण की कार्यवाही चलाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

साक्ष्य के रूप में विपक्षीगण द्वारा Sale Dead दिनांक–27.11.76 की छाया–प्रति, लगान रसीद सं0–00273166, दिनांक–22.07.2014, केस सं0–547एम/1978 में पारित आदेश की प्रति तथा आदेश फलक की छाया–प्रति, Title Suit No-22/10 का आवेदन, जो बिना किसी विद्वान अधिवक्ता के हस्ताक्षरित है की छाया–प्रति संलग्न की गई है।

**अंचल अधिकारी का कथन** :–अंचल अधिकारी, जमुई ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक–1063, दिनांक–27.09.2016 में प्रतिवेदित किया है कि खतियान के अनुसार खतियानदार का नाम जीवलाल गोसाई, पे0–गणपत गोसाई, खाता सं0–187, खेसरा सं0–623, रकवा–21डी0 है।

(2) लगान निर्धारण केश नं0–256/1956–57 के द्वारा खाता सं0–187, खेसरा सं0–623, रकवा–10 1/2 डी0 की जमाबंदी हुरो गोसाई, पे0–पचकौड़ी गोसाई के नाम से जमाबंदी सं0–27 पर कायम किया गया था।

(3) वर्त्तमान में यह जमाबंदी संख्या–27/240 पर है। स्व0 हुरो गोसाई के दो पुत्र फटकन गोसाई एवं कलानन्द गोसाई है। पूछ–ताछ में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जमाबंदी रैयत का खतियानदार से कोई संबंध नहीं है। जमाबंदी रैयत ग्राम सुग्गी से विस्थापित होकर ग्राम धनैठा (धर्मपुर), पोस्ट–मोरसण्डा, जिला–कटिहार में बस गये है।

(4) जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद इनके दोनों पुत्र फटकन गोसाई वो कलानन्द गोसाई ने जमीन केवाला सं0–5594, दिनांक–27.11.1976 को ग्राम सुग्गी के हीरालाल मिश्र, पे0–स्व0 चन्द्रनारायण मिश्र वो यमुना मिश्र, पे0–स्व0 नन्हकू मिश्र वो जलधर गोसाई, पे0–जगदीश गोस्वामी को लिख दिया है। वर्त्तमान में जमीन परती अवस्था में है। मामला उचित उत्तराधिकारी एवं केवाला की वैधता से जुड़ा प्रतीत होता है।

**विचारणीय बिन्दु** :–उभय पक्षों की सुनवाई से निम्नांकित विचारणीय बिन्दु उभर कर सामने आते है :–

(1) खतियानी रैयत अथवा उनके वंशज के नाम से जमाबंदी उन्मूलन के पश्चात् अब तक जमाबंदी कायम नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रही जमाबंदी को रद्द करना नियमानुकूल है।

(2) प्रश्नगत भूमि की चल रही जमाबंदी एवं जमाबंदी रैयत द्वारा निबंधित वसीका के आधार पर कायम की गयी जमाबंदी को केवल खतियान के आधार पर खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर रद्द करते हुए क्या खतियानी रैयत के वंशज का नाम जमाबंदी कायम किया जाना समीचीन है।

**निष्कर्ष** :–उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा–सुग्गी, थाना नं0–35, खाता सं0–187, खेसरा सं0–623, रकवा–21डी0 के खतियानी रैयत जीवलाल गोसाई थे। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर विवादित भूमि पर दावा कर रहे है। विपक्षीगण का कथन है कि खाता सं0–187 पचकौड़ी

गोसाई एवं मो0 चुन्नी पति–अकलू गोसाई के नाम पर खेबट सं0–07 में दर्ज है तथा वे लोग भूमि के दखल में थे। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् खाता सं0–185, 186 एवं विवादित खाता सं0–187 के समस्त भूमि 1.20 एकड़ भूमि की जमाबंदी 27/240 हुरो गोसाई, पे0–पचकौड़ी गोसाई के नाम पर कायम किया गया। मो0 चुन्नी पति–अकलू गोसाई के दखल में आ गयी, जिसे उनके एकमात्र पुत्र हुरो गोसाई ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात जमाबंदी सं0–27/240 अंचल कार्यालय द्वारा खोला गया। हुरो गोसाई के दो पुत्र फटकन गोसाई एवं कलानन्द गोसाई द्वारा खाता सं0–185, 186 एवं 187 की समस्त भूमि 1.20 एकड़ निबंधित वसीका दिनांक–27.11.1976 द्वारा चन्द्र नारायण मिश्र, पिता–हिरा मिश्र, जमुना मिश्र एवं जलधर गोसाई को बिक्री कर दी गयी तथा दाखिल–खारिज वाद सं0–100407/2011–12 द्वारा विपक्षीगण के नाम पर जमाबंदी सं0–27/240 नामांतरित कर दिया गया। विपक्षीगण का यह दावा की प्रश्नगत खाता सं0–187 का खतियान पचकौड़ी गोसाई एवं चुन्नी पति–अकलू के नाम पर खेवट नं0–07 के अनुसार दर्ज है, का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। खतियान की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0–187, खेसरा सं0–623, रकवा–0.21 एकड़ के असामी–जीवलाल गोसाई वल्द गणपत गोसाई थे जबकि मध्यवर्ती गुरू प्रसाद सिंह मुदरर्ज खेबट नम्बर 01 तथा मो0 चुन्नी, मुदरजे खेबट नं0–08 है। इस प्रकार विपक्षीगण का दावा कि विवादित भूमि के पचकौड़ी गोसाई एवं मो0 चुन्नी पति–अकलू खेवट सं0–7 के अनुसार मध्यवर्ती थे, सही नहीं है। साथ ही प्रश्नगत भूमि उनकी वकास्त भूमि थी, का भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। इस प्रकार विपक्षीगण की जमाबंदी किस परिप्रेक्ष्य में कायम हुई तथा अंचल अधिकारी, जमुई के प्रतिवेदन में लगान निर्धारण वाद सं0–256/1956–57 से खाता सं0–187, खेसरा सं0–623, रकवा–10 1/2डी0 की जमाबंदी हुरो गोसाई, पे0–पचकौड़ी गोसाई की जमाबंदी कायम किये जाने औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा यह कहा जाना कि उनकी भूमि का लगान भावली (Kind) के रूप में दिये जाने के कारण जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उनकी जमाबंदी कायम नहीं की गई, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सभी रैयतों का नाम पर जमाबंदी भूतपूर्व मध्यवर्ती के रिटर्न एवं बुझारत तथा अन्य जाँच के आधार पर कायम की गई थी। वादीगण अथवा उनके पूर्वज को प्रश्नगत भूमि का रैयत मानते हुए जमाबंदी क्यों नहीं कायम की गई तथा उनके द्वारा जमाबंदी कायम नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् क्या कार्रवाई की गई, न तो स्पष्ट किया गया और न ही इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम वादीगण द्वारा वर्ष 2016 अर्थात जमाबंदी उन्मूलन के लगभग 60 वर्ष के बाद खतियान के आधार पर खतियानी रैयत के वंशज दर्शाते हुए जमाबंदी उनके नाम से सृजित करने हेतु अंचल अधिकारी, जमुई के समक्ष उक्त जमीन की चल रही जमाबंदी को रद्द कर अपने नाम से जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिया गया। इतनी अवधि के पश्चात् वादीगण द्वारा अब तक जमाबंदी कायम नहीं होने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाते हुए मात्र खतियान के आधार पर खतियानी रैयत के वंशज होने के आलोक में विचाराधीन भूमि की चल रही जमाबंदी को रद्द करते हुए उनके नाम से जमाबंदी सृजित किया जाना समीचीन नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि जमाबंदी रैयत हुरो गोसाई के मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्रों फटकन

गोसाई वो कलानन्द गोसाई द्वारा निबंधित केवाला 5594/27.11.1976 द्वारा हीरा लाल मिश्र, पे0–स्व0 चन्द्र नारायण मिश्र वो यमुना मिश्र, पे0–नन्हकू मिश्र वो जलधर गोस्वामी, पे0–जगदीश गोसाई को विवादित भूमि बिक्री कर दी गई, परन्तु वादीगण द्वारा उक्त केवाला को रद्द कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। वादी यदि चाहते तो सक्षम व्यवहार न्यायालय से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अपने रैयती अधिकार का प्रख्यापन (Decleration) करा सकते थे, परन्तु उनके द्वारा ऐसा किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। वर्णित परिस्थिति में विचाराधीन भूमि की चल रही जमाबंदी में कोई हस्ताक्षेप किया जाना समीचीन नहीं पाते हुए वादी की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

**समाहरणालय, जमुई**
**(राजस्व शाखा)**

ज्ञापांक– 1014 /रा0, दिनांक 01.08.2019

प्रतिलिपि :–उभयपक्षों/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।